135

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3633—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—10—2015 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार(मण्डल—5) तहसील सिरोंज, जिला—विदिशा के प्रकरण क्रमांक 01/अ—27/2015—16

.....

1— कुन्जीलाल पुत्र सालकराम शर्मा
2— द्वारकाप्रसाद पुत्र सालकराम शर्मा
3— गोविन्द सिंह पुत्र सालकराम शर्मा
निवासीगण— ग्राम इकलौद, तहसील सिरोंज
जिला—विदिशा(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

सुखवती बाई उर्फ स्वतीबाई पुत्री सालकराम
पत्नी श्रीराम पटेरिया शर्मा
निवासी— ग्राम इकलौद, हाल निवासी—गंजबासौदा
जिला—विदिशा(म0प्र0)

.....अनावेदिका

.....

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

आदेश

(आज दिनांक 16-1-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार(मण्डल—5) तहसील सिरोंज, जिला—विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—10—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा भूमि खसरा नं 110 रका 3.781 है0 स्थित ग्राम रतनियाखेड़ी एवं खसरा नं0 22 रकबा 1.390 है0, खसरा नं0 361 रकबा 0.139 है0, खसरा नं0 499 रकबा 2.504 है0, खसरा नं0 679 रकबा 0.949 है0, खसरा नं0 680 रकबा 1.063 है0, खसरा नं0 724 रका 1.239 है0 स्थित ग्राम इकलौदा, तहसील सिंरोज, जिला–विदिशा में स्थित होकर शासकीय रिकॉर्ड में अनावेदिका एवं आवेदकगण के संयुक्त भूमिस्वामी स्वामित्व एवं आधिपत्य में अंकित है। उक्त दोनों ग्रामों की भूमियां में अनावेदिका का खसरा नं0 2.766 है0 का स्वामित्व व हिस्सा है । अनावेदिका द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के बटवारे हेतु न्यायालय नायब तहसीलदार(मण्डल–5) तहसील सिरोंज, जिला–विदिशा के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 1/अ–27/2015–16 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 16.10.2015 द्वारा आवेदकगणों का आपत्ति का आवेदन–पत्र निरस्त करते हुये, प्रकरण में फर्द बटवारा मंगाया गया । इसी से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पत्रिका एवं तथ्यों के विपरीप जाकर पारित किया गया विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदिका का वाद भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा और न ही उक्त भूमि पर अनावेदक का कोई आधिपत्य है। राजस्व रिकॉर्ड में अनावेदक का नाम त्रुटिपूर्ण होकर गलत अंकित हो गया है, जबकि अनावेदिका का वादग्रस्त भूमि में कोई स्वामित्व भाग व आधिध्पत्य नहीं है। अनावेदिका राजस्व रिकॉर्ड की आढ़ में फर्जी तरीके से अपना बंटवारा कराना चाहती है, जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया है। अनावेदिका द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में अपना हिस्सा ले चुकी है, अब कोई शेष बकाया नहीं है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता

कि अनावेदिका द्वारा भूमि खसरा नं 110 रका 3.781 है0 स्थित ग्राम रतनियाखेड़ी एवं खसरा नं0 22 रकबा 1.390 है0, खसरा नं0 361 रकबा 0.139 है0, खसरा नं0 499 रकबा 2.504 है0, खसरा नं0 679 रकबा 0.949 है0, खसरा नं0 680 रकबा 1.063 है0, खसरा नं0 724 रका 1.239 है0 स्थित ग्राम इकलौदा, तहसील सिंरोज, जिला–विदिशा में स्थित होकर शासकीय रिकॉर्ड में अनावेदिका एवं आवेदकगण के संयुक्त भूमिस्वामी स्वामित्व एवं आधिपत्य में अंकित है। उक्त दोनों ग्रामों की भूमियां में अनावेदिका का खसरा नं0 2.766 है0 का स्वामित्व व हिस्सा है । अनावेदिका द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के बटवारे हेतु न्यायालय नायब तहसीलदार(मण्डल–5) तहसील सिरोंज, जिला–विदिशा के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसील न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुये विचारोपरांत अनावेदिका के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा आवेदन–पत्र के आधार पर बंटवारा फर्द मंगाया तथा आवेदकगण की आपत्ति को निरस्त किया । चूँकि दोनों ग्रामों की भूमियों में अनावेदिका स्वामित्व व हिस्सा है, जिसकी पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से की गई है। आवेदकगण ने ऐसा को तथ्य न तो इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिससे की यह स्पष्ट हो सके की उक्त वादग्रस्त भूमियों में आवेदकगणों का आधिपत्य व स्वामित्व है। अतः नायब तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया है, उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में नायब तहसीलदार(मण्डल) तहसील सिरोंज, जिला–विदिशा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–10–2015 न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर